

नीति प्रस्ताव अनुवाद

एपीएनआईसी 44 में कौन से नीति प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी

13 और 14 सितंबर 2017 को ताइचुंग, ताइवान में एपीएनआईसी 44 की खुली नीति बैठक तीन सत्रों में आयोजित की जाएगी।

निम्नलिखित प्रस्तावों की चर्चा में भाग लेने के इच्छुक समुदाय के सदस्यों को नीति एसआईजी मेलिंग लिस्ट में शामिल होना चाहिए और नीति एसआईजी बैठक में भाग लेना चाहिए - व्यक्तिगत अथवा दूरस्थ भागीदारी के माध्यम से।

प्रॉप-116: अंतिम /8 ब्लॉक में आईपीवी4 पते स्थानांतरित करने के लिए निषेध

यह प्रस्ताव प्रारंभिक आवंटन/एसाइनमेंट के दो साल बाद अंतिम /8 ब्लॉक पतों (103/8) के स्थानांतरण को प्रतिबंधित करेगा। उस समय तक जो 103/8 पते ब्लॉक आवश्यक नहीं हैं, उन्हें पुनर्वितरण के लिए APNIC को वापस लौटा देना होगा। यह प्रतिबंध बाज़ार और विलय तथा अधिग्रहण, दोनों स्थानांतरणों के लिए लागू होता है।

प्रॉप-118: एपीएनआईसी क्षेत्र में कोई आवश्यकता नहीं नीति

यह प्रस्ताव एपीएनआईसी क्षेत्र में या इसके अंदर आईपीवी4 पतों को स्थानांतरित करते समय आवश्यकता प्रदर्शित करने की ज़रूरत को हटाने के लिए है। एक अपवाद मौजूद है जहाँ यदि सँसाधन एक ऐसे आरआईआर क्षेत्र से हैं जिसके लिए आवश्यकता-आधारित नीतियों की ज़रूरत हो, तो इस स्थिति में प्राप्तकर्ता को पाँच वर्षों में कम से कम 50% संसाधनों की एक उपयोग योजना उपलब्ध करानी होगी। यह नीति एएस नंबर स्थानांतरणों पर लागू नहीं होगी।

प्रॉप-119: अस्थायी स्थानांतरण

अस्थायी स्थानांतरणों के लिए एक तंत्र बनाने का प्रस्ताव, जो संगठनों को सीधे अपने अंतर्गत सँसाधनों का पंजीकरण करने की अनुमति दे सकता है, जबकि वे संगठन इन सँसाधनों के सँरक्षक हों। यह "ग्राहक एसाइनमेंट" या पारंपरिक 'बाज़ार' स्थानांतरण के विकल्प के रूप में वाणिज्यिक रूप से किराए पर देने के लिए लागू हो सकता है।

प्रॉप-120: अंतिम /8 पूल का संपूर्ण रूप से प्रयोग करने की योजना

यह प्रस्ताव अंतिम /8 पूल का संपूर्ण रूप से प्रयोग करने के लिए एक योजनाबद्ध दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसमें एपीएनआईसी सँसाधन प्रबंधन को एक एकमात्र निःशुल्क पूल में वापस करना शामिल है। यह एपीएनआईसी से सदस्यों को प्राप्त हो सकने वाले एड्रेस स्पेस की मात्रा में परिवर्तन नहीं करता है, लेकिन यह नए सदस्यों को प्रतीक्षा सूची प्राथमिकता देता है।

प्रॉप-121: "आरंभिक आईपीवी6 आवंटन" नीति को अद्यतन करना

एलआईआर को दो वर्षों के अंदर बनाने के लिए योजनाओं की संख्या निर्दिष्ट नहीं करके आईपीवी6 स्थान के आवंटन को बदलने का प्रस्ताव। इसके अलावा जहाँ न्यूनतम डेलिगेशन से अधिक की आवश्यकता हो, वहाँ यह प्रस्ताव एचडी-अनुपात को आकलन के आधार के रूप में हटा देगा और अनुरोधकर्ताओं को अपनी सँरचना या अन्य कारकों के अनुसार स्पेस को उचित ठहराने की अनुमति देगा।

प्रॉप-122 "बाद के आईपीवी6 आवंटन" नीति को अद्यतन करना

इस प्रस्ताव को बाद के आईपीवी6 आवंटन नीति को प्रॉप-121 के अनुरूप बनाने के लिए अवरचित किया गया है। प्रारंभिक डेलिगेशन के आकार को दोगुना करके बाद के आवंटन का आकार निर्धारित नहीं किया जाएगा और यह किसी सँगठन को सँरचना और अन्य कारकों के आधार पर अपनी आवश्यकताओं को न्यायसंगत बनाने की अनुमति प्रदान करेगा। एसाइनमेंट के लिए एक स्वीकार्य एचडी-अनुपात की प्राप्ति अभी भी अतिरिक्त आवंटन के औचित्य को साबित करने के लिए आवश्यक होगी।

उपयोगी कड़ियाँ

- नीति चर्चा मेलिंग सूची की सदस्यता लें
 - <https://mailman.apnic.net/mailling-lists/sig-policy>
- एपीएनआईसी 44 नीति के पृष्ठ पर जाएँ
 - <https://conference.apnic.net/44/policy>